

22/8/24

पत्रावली पत्र हुई अधिवक्ता  
उक्त पत्र धारित नहीं। बार-2  
आवाजे लगाई गई धारित नहीं  
होने पर पत्रावली कानून के  
कानून धारियों में खाली की  
गयी थी पत्रावली को लाना  
देकर बाद तकमिल सम्मिल  
कमल धरे

सहायक कन्क्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

